रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112020-223201
CG-MH-E-20112020-223201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942

No. 506] NEW DELHI THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुंबई, 29 अक्तूबर, 2020

**संख्या टीएएमपी/81/2016-सीओपीटी.—**महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों की अपफ्रंट प्रशुल्क और निष्पादन मानकों की इस प्राधिकरण द्वारा 21 जुलाई, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2016-सीओपीटी द्वारा अनुमोदित मौजूदा अनुसूची की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश द्वारा, करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/81/2016-सीओपीटी

**कोचीन पत्तन न्यास(सीओपीटी)** - - - आवेदक

गणपूर्ति

(i) **श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii) **श्री रजत सच्चर, सदस्य,** (आर्थिक)

**आदेश**

(अक्तूबर, 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) द्वारा दायर सीओपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा अनुसूची और निष्पादन मानकों की वैधता के प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने सीओपीटी के प्रस्ताव के आधार पर और हितधारकों के साथ विधिवत् परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करके और संयुक्त सुनवाई का आयोजन करने के पश्चात् सीओपीटी से प्राप्त विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन 21 जुलाई, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2016-सीओपीटी द्वारा किया था। वह आदेश भारत के राजपत्र में 11 सितंबर, 2017 के राजपत्र संख्या 349 में अधिसूचित हुआ था। अधिसूचित आदेश 11 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी हुआ था और इसकी वैधता तीन वर्ष की अवधि के लिए यानी 10 अक्तूबर, 2020 तक थी।

3.1. सीओपीटी ने 16 अक्तूबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा 15 अक्तूबर, 2020 का पत्र संख्या एफडी/कास्टिंग/स्टीवडोरिंग/2016 भेजते हुए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों (इस प्राधिकरण के 21 जुलाई 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2016-सीओपीटी के द्वारा अनुमोदित) की वैधता का विस्तार और 2 वर्ष के लिए करने का अनुरोध किया है।

3.2. सीओपीटी द्वारा सीओपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा अनुसूची और निष्पादन मानकों की वैधता का विस्तार चाहने के लिए मुख्य निवेदनों का सार इस प्रकार है:-

(i) स्टीवडोरिंग नीति में परिवर्तनों को देखते हुए, सीओपीटी की 5 मुख्य यूनियनों ने नई स्टीवडोरिंग नीति के कार्यान्वयन के बारे में एक औद्योगिक विवाद दायर किया था जो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आरएलसी) कोचीन के पास लंबित था। अत: सीओपीटी (स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन लाइसेंसीकरण) विनियम, 2019 (विनियम) की अधिसूचना के बावजूद भी नई दरें कार्यान्वित नहीं कर सका।

(ii) ट्रेड यूनियनों ने आरएलसी के समक्ष उठायी गयी आईडी का समापन 12 अगस्त, 2020 को समझौता की असफलता के रूप में हुआ। अत: 27 अगस्त, 2020 को सभी मौजूदा स्टीवडोरों को विनियम के खंड संख्या 4 के अनुसार 60 दिन की अवधि के भीतर यानी 25 अक्तूबर 2020 तक, नए विनियमों को अपनाने के बारे में एक व्यापार सूचना जारी की गई। इसलिए, सीओपीटी में स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रचालनों के प्रासमिक प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख 25 अक्तूबर, 2020 से ही मानी जाये।

(iii) प्राधिकरण के आदेश के पैरा 13(xix) के अनुसार स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों का प्रासमिक प्रशुल्क राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होंगे। महापत्तन न्यासों द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी 15 नवंबर, 2016 के राजपत्र संख्या 407 द्वारा जारी स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.3 के अनुसार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42.(3) के अंतर्गत, प्राधिकरण द्वारा यथानुमोदित अधिकतम प्रशुल्क की वैधता 3 वर्ष की अवधि के लिए ही होती है। अत: वर्तमान दरें 10 अक्तूबर, 2020 तक ही वैध हैं।

(iv) इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि सीओपीटी नई स्टीवडोरिंग नीति को 25 अक्‍तूबर, 2020 से ही कार्यान्वित कर सकेगा और प्राधिकरण के 21 जुलाई, 2017 के आदेश द्वारा निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता 11 अक्तूबर 2020 को समाप्त होगी, प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों की वैधता को 2 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करने का कष्ट करे। संशोधन के लिए संशोधित प्रस्ताव, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले ही दायर कर दिया जायेगा।

4. सीओपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा अनुसूची और निष्पादन मानकों की वैधता 10 अक्तूबर, 2020 को समाप्त हो गई है। सीओपीटी द्वारा किये गए निवेदनों के आधार पर यह प्राधिकरण 21 जुलाई 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2016-सीओपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीओपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा अनुसूची और निष्पादन मानकों की वैधता का विस्तार उनकी समाप्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए यानी 10 अक्तूबर 2022 तक करने को प्रवृत्त है, बशर्ते

सीओपीटी का न्यासी मंडल सीओपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा अनुसूची और निष्पादन मानकों की वैधता को और 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित करे।

5. परिणाम में, और ऊपर बताए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण 21 जुलाई 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2016-सीओपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीओपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा अनुसूची और निष्पादन मानकों की वैधता का विस्तार उनकी समाप्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए यानी 10 अक्तूबर 2022 तक करता है, बशर्ते सीओपीटी का न्यासी मंडल सीओपीटी के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन प्रभारों के अपफ्रंट प्रशुल्क की मौजूदा अनुसूची और निष्पादन मानकों की वैधता को और 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित करे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./355/2020-21]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th October 2020

**No.TAMP/81/2016-COPT.—**In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the Cochin Port Trust (COPT) approved by this Authority vide earlier Order No.TAMP/81/2016-COPT dated 21 July 2017 as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

Case No.TAMP/81/2016-COPT

Cochin Port Trust(COPT) **- - -** Applicant

**QUORUM**

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 28th day of October 2020)

This case relates to a proposal filed by Cochin Port Trust (COPT) for extension of the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the COPT.

2. This Authority vide its Order No.TAMP/81/2016-COPT dated 21 July 2017 has, based on the proposal of COPT and after following due consultation process with stakeholders and after holding joint hearing, approved the subject proposal received from COPT. This Order was notified in the Gazette of India on 11 September 2017 vide Gazette No. 349. The notified Order came into effect from 11 October 2017 and validity is prescribed for a period of 3 years i.e. 10 October 2020.

3.1. The COPT vide its e-mail dated 16 October 2020 has forwarded its letter No.FD/Costing/ Stevedoring/2016 dated 15 October 2020 requesting to extend the validity of rates fixed by TAMP for a further period of 2 years (approved by this Authority vide Order No.TAMP/81/2016-COPT dated 21 July 2017).

3.2. The main submissions made by the COPT for seeking of extension of the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the COPT are summarised below:

(i) Looking to the changes in the Stevedoring Policy, an Industrial Dispute was filed by the 5 major unions of COPT, which was pending before the Regional Labour Commissioner

(RLC), Cochin over the implementation of the new Stevedoring Policy. Hence, the new rates could not be implemented even after notification of COPT (Licensing of Stevedoring and Shore Handling) Regulations, 2019 (Regulation).

(ii) The ID raised by the Trade Unions before the RLC ended as failure of conciliation on 12 August 2020. Hence, a Trade Notice dated 27 August 2020 has been issued to all the existing Stevedores to switch over to the new Regulation with a changeover period of 60 days i.e. by 25 October 2020 as per Clause No.4 of the Regulation. Therefore, the effective date of implementation of normative tariff for stevedoring and shore handling operations in COPT would be only from 25 October 2020.

(iii) As per Para 13(xix) of the TAMP's Order, the normative tariff for stevedoring and shore handling operations will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette. As per the Clause 2.3 of the Guidelines for Determination of Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling Operations authorized by Major Port Trusts under Section 42(3) of the Major Port Trusts Act, 1963 issued by TAMP vide Gazette No.407 dated 15 November 2016, the validity of the caps tariff as approved by the TAMP is for a period of 3 years only. Thus, the present rates are valid upto 10 October 2020 only.

(iv) Considering the fact that COPT could implement the new Stevedoring Policy with effect from 25 October 2020 only and the validity of upfront tariff fixed by TAMP vide Order dated 21 July 2017 will expire on 11 October 2020, approval of TAMP is requested to extend the validity of rates fixed by TAMP for a further period of 2 years. A revised proposal for revision will be submitted to TAMP as per the Guidelines issued by Ministry well before the expiry of 2 years.

4. The validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of the COPT is expired on 10 October 2020. Based on the submissions made by the COPT, this Authority in inclined to extend the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of COPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/81/2016-COPT dated 21 July 2017 from the date of its expiry for a period of two years i.e. till 10 October 2022 subject to Board of Trustees of COPT approves the extension of the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards for a further period of two years.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards of COPT approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/81/2016-COPT dated 21 July 2017 from the date of its expiry for a period of two years i.e. till 10 October 2022 subject to Board of Trustees of COPT approves the extension of the validity of the existing schedule of Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling Charges and the Performance Standards for a further period of two years. The validity shall automatically lapse unless specifically extended by this Authority.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./355/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.20 19:50:59 +05'30'